



रिपोर्ट सारस्ता होकर
गुर्जर एडवोकेट हाजिर। प्राथमिक
जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता के इस अनु
प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम
नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य
जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर
प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना
पत्र की प्रकृति एवं सहखातेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुये सह
खातेदारों को बिना सुने एक पक्षिय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा सह
खातेदारों के विरुद्ध जारी करना तर्क संगत नहीं है। अप्रार्थीगण को जरिये
नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.9.2021 को पेश हो।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

वकील प्रार्थी की ओर से प्राप्पण मिसल तलबी
व दावा विद्वा कले पेश होने पर पत्रावली मूला
वाद के साथ पेश हुई। मूला वाद विद्वा की
अगुमीत के साथ खारिज किया जा चुका है
अतः अब इस प्राप्पण में आगे कोई कार्यवाही
किया जाना अपेक्षित नहीं रहा है। अतः प्रार्थी
का प्राप्पण खारिज किया जाता है। पत्रावली
मिसल शुमा होडा नखर से का होडा दातर
हाजिर है।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



